<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 479

20 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों में विफल इस्पात बार ब्राण्ड

479. श्री माजीद मेमनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 24 में से 18 इस्पात बार ब्राण्ड भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात को अवसंरचना उत्पाद का दर्जा देने पर विचार किया है; और

(घ) लौह अयस्क और 'कोकिंग कोक' के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): बीआईएस के समक्ष अक्टूबर, 2018 में एक न्यूज रिपोर्ट आई थी, जिसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल (एफसीसी) नामक एक संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सूचित किया गया था कि नमूनों के परीक्षण के दौरान गुणवत्ता मानकों पर 24 टीएमटी बार ब्रांडों में से 18 ब्रांड फेल हो गए हैं।

बीआईएस ने एफसीसी से परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला, नमूनों के स्रोत, विनिर्माताओं के नाम इत्यादि के संबंध में विवरण साझा करने का अनुरोध किया था।

एफसीसी द्वारा सूचित किए गए परीक्षण परिणामों का सत्यापन करने के उद्देश्य से बीआईएस ने श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च (एसआईआईआर) नामक परीक्षण प्रयोगशाला से संपर्क किया था। प्रयोगशाला से अनुरोध किया गया था कि वह परीक्षण अनुरोधों तथा एफसीसी, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के ग्रेड, आकार तथा ब्रांड

नाम आदि जैसी घोषणाओं की छाया प्रतियाँ उपलब्ध करवाए। प्रयोगशाला से नमूनों के अवशेषों का पुनः परीक्षण करने का भी अनुरोध किया गया था।

श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च (एसआईआईआर) प्रयोगशाला ने सूचित किया है कि इसके लिए बुकिंग करने वाले पक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी। तब बीआईएस ने एफसीसी से उपर्युक्त के लिए अनुमति देने के लिए संपर्क किया था। एफसीसी ने अनुमति प्रदान नहीं की है। एफसीसी की रिपोर्ट सत्यापित रिपोर्ट नहीं है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग): जी नहीं।

(घ): देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की लौह अयस्क की मौजूदा माँग/खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए, सरकार ने शून्य निर्यात शुल्क वाले निम्न ग्रेड (58% लोहांश से कम) लौह अयस्क (लंप एवं फाइंस) को छोड़कर लौह अयस्क के सभी प्रकारों पर 30% निर्यात शुल्क लागू कर दिया है।

सरकार ने मौजूदा कोल वाशरीज की क्षमता को बढ़ाकर तथा और अधिक कोल वाशरीज की स्थापना के माध्यम से कोकिंग कोयले का आयात कम करने के लिए एक योजना तैयार की है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय से इस्पात सीपीएसई के लिए कोकिंग कोयला खानों को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

****